

दिनांक 24.04.2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वाद पुकारा गया। राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार न्यायालय में उपस्थित है।

2. पत्रावली आज बहस हेतु नियत है। अभियुक्त अनुपस्थित है। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनवर सिंह सजवाण न्यायालय में उपस्थित है, उनके द्वारा अभियुक्त की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रपत्र संख्या 50ख, प्रस्तुत किया गया, जिसमें कथन किया गया कि अभियुक्त रोजगार पर घर से बाहर होने के कारण माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं आ पाया। सुना। न्यायहित में केवल आज के लिए स्वीकार। तत्पश्चात् पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा मौखिक रूप से बहस की गयी। सुना।

3. पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 27.04.2023 को प्रस्तुत हो।

(जैनब)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।